

सुरुङ्गा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
मधुपट्टी ,सप्तरी
प्रदेश न २ ,नेपाल

दोस्रो नगर सभा समक्ष प्रस्तुत
आर्थिक व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक
२०७५

प्रस्तुतकर्ता
विन्दा कुमारी पासमान
नगर उप प्रमुख

मिति २०७५ साल आषाढ १० गते आइतवार

सुरुङ्गा नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभामा प्रस्तुत आ. व. २०७५/७६ को आर्थिक व्यवस्था
गर्न वनेको विधेयक, २०७५

यस सुरुङ्गा नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको उदघाटन समारोहका सभाध्यक्ष आदरणीय नगर प्रमुख श्री
मुक्तीनाथ चौधरी ज्यू

नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्य ज्यूहरू

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री राजकुमार दास ज्यू

हार्दिक नमस्कार

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डका आन्दोलन
तथा मधेश आन्दोलनका क्रममा जनताका अधिकार र मुक्तिका लागि आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्नु हुने सम्पूर्ण
शहीदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनु भएका घाइतेहरूको स्वास्थ्य
लाभको कामना गर्दछु ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा नगर सभाको कार्य आषाढ महिनाको १० गते भित्र प्रारम्भ
गरिसक्नुपर्ने भएकोले आज हामी २०७५/७६ को लागी यस नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा प्रारम्भ गर्न
गईरहेको छौ . यस दोस्रो नगर सभामा आफ्ना अमुल्य समय दिई हाम्रो निमन्त्रयणलाई स्वीकार गरी
आउनुभएका प्रमुख अतिथि मा. सांसद श्री तेजुलाल चौधरी लगायत विशिष्ट अतिथि ज्यूहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त
गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

सभाका सभाध्यक्ष महोदय

सप्तरी जिल्लाको सवैभन्दा वढी खोला नाल भएको यस नगरपालिकावाट हुंगा,गिटी,वालुवाको निकासी
अत्यधिक भईरहेका तर सोवाट नगरपालिको आम्दानीको अवस्था शुन्य रहेको ,नगर क्षेत्रभरि रहेको सार्वजनिक
पोखरीहरूको ठेक्का वन्दोवस्ती नभएको , हाट वजारहरू अव्यवस्थित रहको वर्तमान अवस्थामा
खोलानाला,पोखरीहरूको विवरण र हाटवजारको अभिलेख व्यवस्थापन सम्पन्न भईसकेको ,ठेक्का वन्दोवस्तीको
लागी स्थानीय राजस्व परामर्श समितिवाट परामर्श प्राप्त भईसकेको अवस्थामा यस नगर क्षेत्रभित्र रहेको
खोलानाला,पोखरीहरू टाटवजारहरूको ठेक्का वन्दोवस्तीको कार्य नगर सभा पश्चात तत्काल प्रारम्भ गर्ने र
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिवाट प्राप्त भएको परामर्श यस नगर सभावाट पारित भई राजस्वका दर २०७५
साल श्रावण १ देखी नै लागु गरी आन्तरिक आम्दानी वृद्धी गरी सक्षम नगरपालिकाको रुपमा यस
नगरपालिकालाई विकास गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ कार्य अगाडी बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू

अव म राजस्वका क्षेत्रहरूको वारेमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

चालु आव २०७४/७५ मा करका क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रथम नगरसभाले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन गर्न
नसक्दा आन्तरिक आम्दानी ज्यादै न्युन रहेको र सोही अवस्था आव २०७५/७६ मा रहि रहदा धान्न सक्ने
अवस्था नहुने भएकोले अगामी आवमा आन्तरिक आम्दानी वृद्धी गर्ने सवालमा कुनै कसर बाँकी नराखी
कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।

क. आन्तरिक आम्दानी हुने क्षेत्रहरू

१. खोलानाला,पोखरीहरु,हाटबजारको ठेक्काबन्दोवस्ती

२.विभिन्न क्षेत्रका करहरु (विज्ञापन कर ,मनोरन्जन कर , व्यावसाय कर ,सवारी कर,एकिकृत सम्पती कर, भूमि कर मालपोत,घरवहाल कर,जडीवुटी,कवाडी,जीवजन्तु कर आदि)

३.सेवा शुल्क दस्तुर

४. घर नक्शा

५.दण्ड जरिवाना आदि

ख. राजस्व अभिवृद्धि

१. नगरपालिकालाई सक्षम र आम्म निर्भर बनाउन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, बमोजिम करका दरहरु निर्धारण गरि कार्यान्वयन गरिने छ । यसका साथै करका दरहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ।

२. नगर क्षेत्रभित्र रहेका व्यापार व्यावसायको विवरण संकलन गरी सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायलाई नगरपालिकाको अभिलेखमा दर्ता हुने गरी अभियान संचालन गरिने छ ।

३. अगामी आर्थिक वर्षदेखी लागु हुने गरी एकिकृत सम्पती करको वारेमा चालु आर्थिक देखी नै अध्ययन गरी लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

४. घर बाहल करलाई आन्तरिक श्रोतको अभिन्न अंगको रूपमा विकसित गरि बजारक्षेत्र भित्रको व्यवसायिक प्रयोजनको लागि घर भाडामा लगाइएको घरको कोठाको न्यूनतम घरभाडा कायम गरि नगरकार्यपालिकाले तोकिएको दरमा बहाल कर लिइनेछ ।

५. नगरपालिकालाई आवधिक रूपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

६. नगर कार्यापालिका तथा वडा कार्यालयबाट कम्प्युटकृत प्रणालीबाट राजस्व संकलन गरिने छ ।

७. कर तिर्ने हरेक क्षेत्रको अभिलेख नगरपालिकामा व्यवस्थित गरिने छ ।

८. चौमासिक संकलित करको हिसाव गरी सबैभन्दा बढी तिर्ने करदाताको नाम कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिने छ ।

९. कानुनले प्रतिबन्धित समान ओसार पसार नगर्न यस नगरपालिकाको सीमानासम्म चेक जाँच गर्ने र समान सहित नगर क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई निकाशा वा पैठारी शुल्क लगाउने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।

अव म सुरुगा नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश गर्ने अनुमती चाहन्छु ।

सुरुङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रस्तावना :

सुरुङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ,

नेपालको सविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम सुरुङ्गा नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यो ऐनको नाम **आर्थिक ऐन, २०७५** रहेको छ ।

(२) यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत भएपछि सुरुङ्गा नगरपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।

२. सम्पत्ति कर :यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुची (१) बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।

३. भूमि कर (मालपोत) : यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाईने र असुल गरिनेछ ।
४. घर बहाल कर : यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम घर बहाल कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।
६. बहाल बिटौरी शुल्क : यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची (४) मा उल्लेख भए अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ ।
५. व्यवसाय कर : यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची (५) बमोजिम व्यवसाय कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।
७. विज्ञापन कर : यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
८. मनोरन्जन कर : यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची (७) बमोजिम मनोरन्जन कर लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
९. सेवा शुल्क दस्तुर : यस नगरपालिकाले निर्माण, संचालन व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (८) मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ ।
१०. दण्ड जरिवाना र नियमित दस्तुर : यस नगरपालिकाले आफनो क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको स्वीकृत विना निर्माण भएका भौतिक संरचना, घर तथा अन्य भवन, टहराहरुलाई भवन सहिंता, भवन निर्माण मापदण्ड र नपाबाट स्वीकृत मापदण्ड भित्र पर्नेको हकमा नगरपालिकाको निर्णयानुसार नक्सा स्वीकृत गरी नियमित गर्नुपर्ने भएमा अनुसूची ९ मा उल्लेखित दरमा दण्ड, जरिवाना र नियमित दस्तुर लगाईने र असुल गरिनेछ ।
११. सवारी साधन कर : यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (१०) बमोजिम सवारी साधन कर लगाईने र असुल गरिने छ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
१२. जडीबुटी, कवाडी, जीबजन्तु कर : यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरेको जीबजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीबजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूची (११) बमोजिम कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।
१३. पार्किङ शुल्क : नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएर बापत अनुसूची (१२) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ ।
१४. पर्यटन शुल्क : यस नगरपालिकाले आफनो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची १३ मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
१५. कर छुट : यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन । तत्कालीन स्थानीय निकायको कानून बमोजिम निर्धारण भएका सबै प्रकारका राजस्व वक्यौता रकम, दण्ड जरिवानालाई छुट दिईने छैन । कर छुट र छलीमा संलग्न पदाधिकारीलाई यस्तो छुट र छलीको रकम सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिनेछ ।
१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ । अनुसूची १ देखि अनुसूची १३ सम्ममा उल्लेख भएका देखि बाहेकका कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी व्यवस्था नगरसभाले तोके अनुसार हुनेछ ।

अनुसूची १

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

एकिकृत सम्पत्ति कर

१. एकिकृत सम्पत्ति करका सम्बन्धमा अध्ययन गरी नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार आ.व. २०७५/७६ बाट कार्यान्वयन गर्ने

अनुसूची २
(दफा ३ संग सम्बन्धित)
भूमि कर (मालपोत)

क) पुर्व कडरवोना देखी पश्चिम बलान खोला र कदमाहा देखी उत्तर त्रियुगा नगरपालिका सीमानासम्म राजमार्गमा छोएका घडेरीहरु प्रति कठठा रु १००/-

ख) आवास प्रयोजनको लागी घडेरीहरु

बजार क्षेत्र प्रति कठठा रु ५०

ग्रामीण क्षेत्र प्रति कठठा रु २५

ग) खेतीयोग्य जमिनहरु

| सि.न. | इकाई | दर |
|-------|--|---------|
| १ | एक विग्हासम्मको प्रति कठठा | रु १०१- |
| २ | एक विग्हा माथि तीन विग्हासम्मको प्रति कठठा | रु १२१- |
| ३ | तीन विग्हा माथि जतिसुकै भएपनि | रु १५१- |

अनुसूची ३
(दफा ४ संग सम्बन्धित)
घर बहाल कर

बहाल कर न्युनतम निम्न अनुसार हुने (मासिक)

| सि.न. | विवरण | बहाल दर |
|-------|-----------------------------|---------------|
| १ | घरधनीसंग बहाल सम्भौता रकमको | २ दुई प्रतिशत |

अनुसूची ४
(दफा ६ संग सम्बन्धित)
विटौरी कर

| सि.न. | विवरण | मासिक रु | बार्षिक रु |
|-------|--|----------|------------|
| १ | सडक क्षेत्र, ऐलानी तथा दर्ता छुट जग्गामा व्यापार व्यावसायको लागी प्रति स्टल, कोठा, ठेला गाडी | ५०० | ५००० |
| २ | अस्थायी आवास प्रयोजनको लागी प्रति घरधुरी | | १००० |
| ३ | कृषि तथा अन्य प्रयोजनको लागी प्रति कठठा | | १००० |

अनुसूची ५
(दफा ५ संग सम्बन्धित)
व्यवसाय कर

पुंजीको आधारमा

१) **व्यापारिक बस्तुहरु**

क) चुरोट तथा मदिरा जन्य पदार्थ, हार्डवेयर, टायल्स, मार्बल तथा सेनीटरी र ज्वेलर्स संग सम्बन्धित बस्तुहरुको व्यापार व्यावसाय (मदिरा र कोल्ड ड्रिंक सहितको किराना पसल समेत)

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर(रु) |
|--------|--------------------------|-------------------|
| १ | ५ लाख सम्म | ५०० |
| २ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | १००० |
| ३ | १५ लाख १ देखि १ करोडसम्म | ५००० |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोडसम्म | १०००० |
| ५ | ५ करोड देखि माथि | १५००० |

ख) क्यामेरा, टेलीभिजन, फ्रिज लगायतका विद्युतिय तथा विद्युतका सामग्री (सिडि प्लेयर, कम्प्युटर, मोबाईल लगायत सामग्री समेतका व्यवसायहरु)

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|--------------------------|---------------|
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१ |
| २ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | १०००१ |
| ३ | २० लाख १ देखि १ करोडसम्म | ३०००१ |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोडसम्म | ५०००१ |
| ५ | ५ करोड १ देखि माथि | ७०००१ |

ग) ट्याक्टर विक्री, कार जीप, अटोमोबाईल, मोटरपार्टस, मोटरसाईकल, मिल, मेशिनरी तथा हार्डवयर सम्बन्धी आदि ।

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|--------------------------------|---------------|
| १ | ५ लाख सम्म | ५००१ |
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १०००१ |
| ३ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १२००१ |
| ४ | २० लाख १ देखि करोड सम्म | २०००१ |
| ५ | १ करोड १ देखि माथि ५ करोड सम्म | ३०००१ |
| ६ | ५ करोड १ देखि माथि | ५०००१ |

घ) किताब, कापी तथा स्टेशनरी संग सम्बन्धित व्यवसाय (औषधि पसल र किराना व्यवसाय समेतको हकमा)

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------|---------------|
| १ | १ लाख सम्म | ५००१ |
| २ | १ लाख १ देखि ३ लाख सम्म | ५५०१ |
| ३ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ६००१ |
| ४ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | १०००१ |
| ५ | २० खाल १ देखि २५ लाख सम्म | १५००१ |

| | | |
|---|--------------------|-------|
| ६ | २५ लाख १ देखि माथि | २०००१ |
|---|--------------------|-------|

ड) कृषिसंग सम्बन्धित व्यवसायको हकमा (कृषि फर्म, गाई, बाख्रा, सुगुर पालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन ब्यवसाय आदी कृषि सामग्री औजार, मल, विऊ दाना, चोकर, पशुपंक्ति आहारा)

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|--------------------------|---------------|
| १ | १ लाख सम्म | १००१ |
| २ | १ लाख १ देखि ३ लाख सम्म | २००१ |
| ३ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ५००१ |
| ४ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | ५५०१ |
| ५ | २० लाख देखि माथि | १०००१ |

प्रत्येक व्यवसायको लागि छुटाछुटै शुल्क लाग्ने छ ।

च) शिसा, फेमिडें, कार्पेट, साजावटका सामान र जनरल गुड्सहरु आदि ।

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------|---------------|
| १ | १ लाख सम्म | १००१ |
| २ | १ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ५००१ |
| ३ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १०००१ |
| ४ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५००१ |
| ५ | २० लाख देखि माथि | २०००१ |

छ) कपडा, रेडिमेड कपडा आदि व्यवसाय

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------|---------------|
| १ | ३ लाख सम्म | २००१ |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ५००१ |
| ३ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | १०००१ |
| ४ | १५ लाख १ देखि ३० लाख सम्म | १५००१ |
| ५ | ३० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २०००१ |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ३०००१ |
| ७ | ५ करोड १ देखि माथि | ५०००१ |

ज) सवारी साधन शोरुम तथा विक्रीकक्ष आदि व्यवसाय

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|-----------------------------|---------------|
| १ | मोटरसाईकल | ५०००१ |
| २ | ई रिक्सा, सफारी, अटो टेम्पो | ५०००१ |

| | | |
|---|----------------------------|--------|
| ३ | पावर टिलर, ट्याक्टर शो रुम | ५०००१ |
| ४ | कार, जीप, भेन | १००००१ |

२) विशेष परामर्श तथा व्यवसायिक सेवा

क) चिकित्सक, अहेव, कवीराज, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक, पशु डाक्टर, भेटरीनरी, सर्जिकल लागायत स्वस्थ संग सम्बन्धित व्यवसायहरु ।

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| १ | एम.डी. | २०००१ |
| २ | एम.वि.वि.एस, पशु डाक्टर | १०००१ |
| ३ | पशु सहायक | ५००१ |
| ४ | कवीराज, होमियोपेथि, आयुर्वेदिक डाक्टर | १०००१ |
| ५ | सर्जिकल सामान खुदालाई | १०००१ |
| ६ | औषधिपसल थोकलाई | २०००१ |
| ७ | सर्जिकल सामान थोक | ५०००१ |
| ८ | भिडियो एक्स रे | २०००१ |
| ९ | कवीराज, होमियोपेथि, आयुर्वेदिक अहेव | १०००१ |
| १० | शारिरिक व्यायमका सामग्री विक्री | ३०००१ |
| ११ | ईन्जीनियरिङ्ग परामर्श | ३०००१ |

ख) टेलिचलचित्र, वृत्तचित्र निर्माण, परामर्श सेवा, अनुसन्धान तथा परामर्शदाता, अनुवादक, छापाखाना, प्रेश, स्क्रिन प्रिन्टर्स आदि ।

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------|---------------|
| १ | ३ लाख सम्म | ५००१ |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ५५०१ |
| ३ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | १०००१ |
| ४ | १५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५००१ |
| ५ | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २०००१ |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ३०००१ |
| ७ | ५ करोड १ देखि माथि | ५०००१ |

ग) केवल नेटवर्क व्यवसाय

वार्षिक प्रतिग्राहक रु.१० का दरले व्यवसाय शुल्क लगाउने ।

घ) कानुनी व्यवसायी

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|-------|---------------|
|--------|-------|---------------|

| | | |
|---|-----------------|-------|
| १ | वरिष्ठ अधिवक्ता | २०००१ |
| २ | अधिवक्ता | १०००१ |
| ३ | लेखापढी | ५००१ |

ड) लेखापरिक्षक

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|----------|---------------|
| १ | श्रेणी क | २०००१ |
| २ | श्रेणी ख | १०००१ |
| ३ | श्रेणी ग | ५००१ |
| ४ | श्रेणी घ | ३००१ |

च) अन्य सेवाहरु वा फर्म:

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------|---------------|
| १ | विमा एजेन्ट विदेशी | १००००१ |
| २ | विमा एजेन्ट स्वदेशी | ५०००१ |
| ३ | विज्ञापन एजेन्सी | ३०००१ |
| ४ | शेयर दलाल | १००००१ |
| ५ | अभिकर्ता | १०००१ |
| ६ | कानुनी फर्म | १०००१ |

छ) निर्माण कार्यमा सम्लग्न श्रमीक ब्यावसायी (भवन निर्माण, विद्युत जडान तथा मर्मत, प्लम्बीगं, पेन्टर, आदी)को

ईजाजत शुल्क रु.१०००१०० नविकरण शुल्क रु.५००१०० लगाउने

३ कुटानी पिसानी व्यवसायहरुको हकमा

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---|---------------|
| १ | कुटानी तथा पिसानी मात्र | १०००१ |
| २ | कुटानी तथा पिसानी पेलानी | १५००१ |
| ३ | कुटानी तथा पिसानी, पेलानी चिउरा समेत | १६००१ |
| ४ | कुटानी तथा पिसानी, पेलानी चिउरा, मसाला समेत | १७००१ |
| ५ | कुटानी तथा पिसानी, पेलानी तथा विक्री समेत | २०००१ |

४. उत्पादनमुलक उद्योग

क) अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल वा अन्य सामानको प्रयोग र प्रशोधन गरि मालसामान उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तो, खेर गईरहेको प्लाष्टिकबाट सामान निर्माण गर्ने र फोहोरबाट मल निर्माण गर्ने व्यवसायको हकमा व्यवसायको लगानी हेरी रु १००० देखि रु १०००० सम्म लिने ।

ख) वातावरणमा असर पार्ने उत्पादन मुलक उद्योग ईटामा प्रति वर्ष रु . १२०००१ प्रदुषण कर लिने ।

नोट: वातावरणलाई असर पार्ने उद्योग अन्तर्गत ईटामा प्रति गोटा निश्चित दरमा कर लगाउन छलफल भएको भएतापनि सो गर्न नसकिएको ।

५. पर्यटन सेवा व्यवसाय

आवास लज, होटल, फास्टफुड रेस्टुरा, रिसोर्ट ट्राभल्स एजेन्सी, स्वमीष्टं पुल, कन्फेन्सहल आदि ।

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|--------------------------|---------------|
| १ | १ लाख सम्म | ५००१ |
| २ | १ लाख देखि २ लाख सम्म | ५५०१ |
| ३ | २ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ७००१ |
| ४ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | १०००१ |
| ५ | २० लाख भन्दा माथि | २०००१ |
| ६ | रिसोर्टहरुको हकमा | ४०००१ |

६. संचार सेवा,पत्रपत्रिका,ईन्टरनेट, साईवर क्याफे,अनलाईन न्युज,कुरियर सेवा, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन समेत

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------|---------------|
| १ | ३ लाख सम्म | १०००१ |
| २ | ३ लाख १ देखि ५लाख सम्म | १२००१ |
| ३ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१ |
| ४ | १० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २०००१ |
| ५ | ५० लाख १ देखि माथि | २५००१ |
| ६ | मोवाइल टावर (वार्षिक) | ३०००१ |

७. वित्तिय सेवा

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---|---------------|
| १ | निजी क्षेत्रवाट संचालित वाणिज्य बैंक, विदेशी विमा कम्पनी (क वर्ग) | ५०००१ |
| २ | विकास बैंकहरु (ख वर्ग) | ४०००१ |
| ३ | वित्तिय कम्पनीको मुख्य कार्यालय | ५०००१ |
| ४ | विमा कम्पनी र मनि ट्रान्सफर | ३०००१ |
| ५ | १ करोड सम्म कारोवार (वासलात) भएका सहकारी | २०००१ |
| ६ | १ करोड १ भन्दा माथि ३ करोड सम्म | ३०००१ |
| ७ | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ५०००१ |
| ८ | ५ करोड १ देखि भएका सहकारीहरु | ८०००१ |
| ९ | वित्तिय कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु | ३०००१ |
| १० | लघुवित्त कम्पनीको कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरु | ३०००१ |
| ११ | इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु | ३०००१ |

नोट: १. वचत तथा ऋणको कारोवार नगरी पूर्णतया कृषिमा आधारित सहकारीका हकमा वार्षिक शुल्क नलिने । माथि उल्लेखित सहकारीहरूको सम्बन्धमा कुनै सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा प्रति सिफारिस रु १००० लिने ।

२. महिलाहरूद्वारा मात्र गठन भई सन्चालित सहकारी सस्थाहरूको दर्ता र नविकरण शुल्कमा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत छुट दिने ।

८. निजी तथा साभेदारी स्तरमा सन्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक क्लिनिक, अस्पताल, औषधालयहरू, थेरापी सेन्टर, रिसर्च सेन्टर, ल्याब तथा रेडियोलोजी आदी ।

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------|---------------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागि | १०००। |
| २ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | ३०००। |
| ३ | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ५०००। |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ८०००। |
| ५ | ५ करोड देखि माथि | १००००। |

९. तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरू

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|--|---------------|
| १ | तालिम तथा अनुसन्धान, कम्प्युटर टाईपिङ लगायत फोटोकपि समेत संचालन भई काम गर्नेहरूको हकमा, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण, निजी क्षेत्रबाट दिईने शिक्षा सेवा तथा कोचिङ सेन्टर आदि । | २०००। |

१०. मर्मत सेवा

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---|---------------|
| १ | टेक्टर, बस, ट्रक, हेवी ईक्वुपमेन्ट, कार, जीप, लगातय तिन पाग्रे सवारी डेन्टिङ मोटर पार्टस, मिलमेशिनरी, एयरकुलर, टायर रिमोविङ मोटरसाईकल, हुडसिट मर्मत आदि | २५००। |
| २ | रेडियो, घडि, टिभि, इलेक्ट्रोनिक मर्मत, फ्रिज, मोटर तथा वाटरपम्प, स्टेप्लाइजर | १०००। |
| ३ | ग्यास चुल्हो सेल्स, डाईनोमाईट, गाडीको पम्प, टायरट्युब पंचर, ग्यास वल्डिङ, रिक्सा मर्मत गर्ने, साईकल, लुगा सिउने मेशीन अन्य फोटोकपि व्याग आदी मर्मत | ५००। |

११. अन्य सेवा

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---|---------------|
| १ | बैदेशिक रोजगारिमा पठाउने संस्था, हाउजिङ कम्पनी | ५०००। |
| २ | उद्योग, संघसंस्था आदिमा स्वदेशको लागि जनशक्ति सप्लाई गर्ने | ५०००। |
| ३ | कलर ल्याब | १०००। |
| ४ | घरजग्गा खरिद विक्री, रियल स्टेट | ५०००। |
| ५ | विज्ञापन सेवा फोटो स्टुडियो | १०००। |
| ६ | ब्यूटी पार्लर, केश श्रृंगार, साइनबोर्ड, पेन्टिङ, सैलुन नर्सरी | ५००। |
| ७ | मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आदि) खुद्रा विक्रेता | ५००। |
| ८ | मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आदि) थोक विक्रेता | १०००। |

| | | |
|----|--|--------|
| ९ | पंचेवाजा | २५०१ |
| १० | ब्रास वैण्डवाजा | ५००१ |
| ११ | सित भण्डार | १०००१ |
| १२ | टेण्ट हाउस | ५०००१ |
| १३ | क्याटरिङ | १०००१ |
| १४ | सेलर मिल (उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिंग तथा विक्री) | ५०००१ |
| १५ | एग्रोभेट | १०००१ |
| १६ | कवाडी पसल थोक | १०००१ |
| १७ | कवाडी पसल खुद्रा | ५००१ |
| १८ | दुवानी सेवा शाखा भएका केरियर | १०००१ |
| १९ | दुवानी सेवा शाखा नभएको केरियर | १०००१ |
| २० | चस्मा विक्री गर्ने पसल | ५००१ |
| २१ | सेटरीङ ब्यावसाय | ५००१ |
| २२ | टेलरीङ ब्यावसाय | ५००१ |
| २३ | ग्यास विक्री डिलर | २०००१ |
| २४ | खाधान्न सम्बन्धि कांटा | १०००१ |
| २५ | डिपार्टमेन्टल स्टोर रेष्टुरां बेकरी सहितको | १००००१ |
| २६ | सपिंग सेन्टर, मिनि मार्केट | ५०००१ |
| २७ | डिपार्टमेन्टल स्टोर | १००००१ |
| २८ | निर्माण व्यवसायी | ५००० |

१२. जेनरल स्टोर

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---|---------------|
| १ | ५ लाख सम्म | १०००१ |
| २ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१ |
| ३ | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ३०००१ |
| ४ | ५० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ५०००१ |
| ५ | १ करोड १ देखि माथि | १००००१ |
| ६ | अन्य (पान पसल, नाई सेवा, चिया नास्ता पसल आदि) | ५००१ |

१३. भाडा वर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनहारी, हेल्थ केयर, कृतिम गहना विक्रेता

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|-------------------|---------------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागि | ५००१ |

| | | |
|---|---------------------------|-------|
| २ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १०००१ |
| ३ | १० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २०००१ |
| ४ | ५० लाख देखि १ करोड सम्म | ३०००१ |
| ५ | १ करोड देखि माथि | ५०००१ |

१४. क) उद्योग

मैनवत्ती, अगरवत्ती, धातु उद्योग, चक उद्योग, दाना उद्योग, फिनेल उद्योग, निर उद्योग, औषधी उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योगको डिपो, सौर्य उर्जा उत्पादन, मिश्री उत्पादन, चकलेट उद्योग, पापड चिप्स उद्योग, पाउरोटी उद्योग, बरफ उत्पादन, भुल तथा पर्दा उद्योग, घरेल कपडा बनाउने उद्योग, डेरी उत्पादन, चिनी उद्योग, डोरी डब्बा, वाल्टीन आदी बनाउने उद्योग, निर्माण उद्योग, खनिज उद्योग, सेलर तथा उर्जा मुलक उद्योग ।

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------|---------------|
| १ | ५ लाख सम्मको लागि | ५००१ |
| २ | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१ |
| ३ | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | ५०००१ |
| ४ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ८०००१ |
| ५ | ५ करोड देखि माथि | १५०००१ |

ख) ग्रिल उद्योग

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------|---------------|
| १ | ३ लाख सम्मको | ५००१ |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्मको | १०००१ |
| ३ | ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | १५००१ |
| ४ | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | २०००१ |
| ५ | २० लाख १ देखि माथि | २५००१ |

उल्लेखित व्यवसायको हकमा अन्य निकायलाई गरिने सिफारिस बापतको दस्तुर थप लिने ।

ग) उल्लेख नभएका अन्य उद्योगहरु

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|--|---------------|
| १ | ट्युबलाईट उद्योग, ब्याट्री उद्योग, प्लाष्टीकका सामानहरु उत्पादन गर्ने उद्योग, सावुन उत्पादन गर्ने उद्योग आदि | ५०००१ |
| २ | वियर फ्याक्ट्री, मंदिर उत्पादन उद्योग, ल्युव उद्योग, इट्टा उद्योग | २०००० |
| ३ | सुर्तिजन्य उद्योगहरु, पानमसला, गुटखा आदी | २०००१ |

१५. अन्य वर्गीकरण नखुलेका व्यावसाय

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|-------|---------------|
|--------|-------|---------------|

| | | |
|---|--|-------|
| १ | आलु, प्याज, हरियो तरकारी, फलफुल थोक विक्री | १०००। |
| २ | खुद्रा तरकारी, फलफुल | ५०० |

नोट

- १) माथि उल्लेखित प्रकृति, उपभोक्ता शिर्षकमा नपरेको व्यवसाय र उद्योग दर्ता हुन आएमा व्यवसाय र उद्योगको किसिम हेरी माथिको कर दरमा नघटनेगरी वार्षिक कर लिई व्यवसाय प्रमाणपत्र दिने ।
 - २) नगरपालिकामा दर्ता भई संचालनमा आएका फर्म, पसल, उद्योग आदि लाई बन्द गर्नुपर्दा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण गरि विगत वर्षको लागने दस्तुर र जरिवाना समेत असुल गरि व्यवसाय बन्द सिफारिस दिने र सोको विवरण छुट्टै फायलमा खडा गरि अध्यावधिक गरि राख्ने ।
 - ३) व्यवसायिक फर्म नामसारी गर्दा तिन पुस्तेभित्र रु २५० र सो भन्दा बाहिर नामसारी गर्दा रु ५०० राजश्व लिई नामसारी गरि दिने ।
 - ४) नगरपालिकालाई आवश्यक परेमा (व्यावसायको किसिम निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा) निजको व्यावसायको कारोबारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय कारोबार प्रमाणित विवरण माग गर्न सकिने छ साथै नगरपालिकाले तोकेको कर्मचारीबाट निरीक्षण गरि निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कर निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने ।
 - ५) नगरपालिकालाई बुझाउनु तिर्नु पर्ने कर, शुल्क र भाडा आदि जस्ता राजश्व बुझाउन बांकी रहेमा न.पा बाट प्रदान गरिने सिफारिस लगायतका कुनै पनि सेवा प्रवाहबाट बंचित गर्न उपयुक्त हुने ।
 - ६) अन्य बांकी करहरूका हकमा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको परिधिभित्र रहि नगरसभाले तोक्ने जुन सामान्यतया कारोबारको स्तर हेरि जरिवाना तोक्ने ।
१६. व्यावसाय कर अन्तरगत माथि उल्लेख नभएका प्रकृतीको व्यावसायको हकमा नगर प्रमुखको निर्णयबाट कर लिने

अनुसूची ६
(दफा ७ संग सम्वन्धित)
विज्ञापन कर

| सि.नं. | विवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---|---------------|
| १ | व्यावसायिक प्रयोजनको लागी नगर क्षेत्रभित्र राखिएका डिजिटल बोर्ड,होर्डिग,भिते लेखन आदिमा प्रति वर्ग फट | ५० |
| २ | ग्लो साइन बोर्ड, डी.पी.एस बोर्ड आदि | ५०। |
| ३ | तलु,व्यानर आदिमा एक पटकको लागी प्रति फिट | ५। |
| ४ | तलु,व्यानर आदिमा एक पटकको लागी प्रति फिट बढीमा एक महिनासम्म | २०००। |

नोट : रक्सी, चुरोट तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा थप ७० प्रतिशत कर लिने ।

शर्तहरू

१. कुनै पनि प्रकारका विज्ञापन गर्दा नपाबाट पुर्व स्वीकृत लिएर मात्र गर्नुपर्दछ ।
- २.नेपाल सरकार ,प्रदेश सरकार,स्थानीय सरकारको नीति वमोजिम सार्वजनिक स्थलमा विज्ञापन गर्न बन्देज गरेको (मादक पदार्थ,सुर्तीजन्य) जस्ता वस्तुहरूको विज्ञापन गर्न पाइने छैन ।
- ३.यातायात सवारी साधनहरूको विक्री प्रयोजनको लागी हुने विज्ञापनमा २५ प्रतिशत थप गरी कर लिइने छ ।
- ४.विभिन्न संघ संस्थाहरूको तर्फबाट हुने सेवामुलक प्रचार प्रसारका सामग्रीहरूमा उल्लेखित दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ ।
- ५.नेपाल सरकार ,प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको तर्फबाट हुने प्रचार सामग्रीमा कर लाग्ने छैन ।

६.स्वीकृत नलिई राखिएका विज्ञापनहरु हटाइने छ र पहिला प्रचार सामग्री राखी पछि स्वीकृत माग गरेमा नगरपालिको आवश्यकता र औचित्य हेरु शत प्रतिशत जरिवाना लिई कर लिइने छ ।

७. निजी स्वामित्वको जग्गामा राखिने प्रचार सामग्रीको हकमा सम्बन्धित जग्गाधनीसंग सहमती लिई त्यस्तो प्रकृतीको प्रचार सामग्रीमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ

अनुसूची ७
(दफा ८ संग सम्बन्धित)
मनोरञ्जन कर

चलचित्र,टेलिचलचित्र, वृत्तचित्र निर्माण, परामर्श सेवा, अनुसन्धान तथा परामर्शदाता, अनुवादक, आदि ।

| सि.नं. | बिवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---------------------------|---------------|
| १ | ३ लाख सम्म | ३००। |
| २ | ३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म | ५००। |
| ३ | ५ लाख १ देखि १५ लाख सम्म | १०००। |
| ४ | १५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | १५००। |
| ५ | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म | २०००। |
| ६ | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ३०००। |
| ७ | ५ करोड १ देखि माथि | ५०००। |

मेला, सर्कस, महोत्सव,कन्सर्ट तथा आवधिक मनोरञ्जनात्मक सेवाहरु

| सि.नं. | बिवरण | प्रस्तावित दर |
|--------|----------------------------|---------------|
| १ | १ दिन सम्म लाग्ने | १०००। |
| २ | १ देखि २ दिन सम्म | १५००। |
| ३ | ३ देखि ५ दिन सम्म लाग्ने | २०००। |
| ४ | ५ देखि ७ दिन सम्म लाग्ने | २५००। |
| ५ | ७ देखि १५ दिन सम्म लाग्ने | ३५००। |
| ६ | १६ देखि ३० दिन सम्म लाग्ने | ७०००। |
| ७ | १ महिना देखि माथि लाग्ने | १००००। |

अनुसूची ८
(दफा ९ संग सम्बन्धित)
सेवा शुल्क र दस्तुर

| सि.न. | विवरण | दस्तुर रु |
|-------|---------------------------|-----------|
| १ | नेपाली नागरिकताको सिफारिस | |
| | क. वंशज | १०० |
| | ख.वैवाहिक | १५० |
| | अगिकृत | १५०० |
| | ग.प्रतिलिपी | १०० |
| २ | राहदानी सिफारिस | ३०० |
| ३ | नाता प्रमाणित | |
| | क. नेपालीमा मृतकसंग | १०० |

| | | |
|----|---|---------|
| | ख. नेपालीमा अन्यसंग | २०० |
| | ग. अंग्रेजीमा | ३०० |
| ३ | नाम थर संशोधन सिफारिस | १०० |
| ४ | विद्युत जडानको सिफारिस | |
| | क. घरायसी कृषि | १५० |
| | ख. व्यापारिक | |
| | ग.साना उद्योग | ५०० |
| | घ. ठुला उद्योग | १००० |
| ५ | विद्युत घारा नामसारी सिफारिस | ५०० |
| ६ | आय श्रोत घर जग्गाको मुल्यांकन सिफारिस प्रति लाखमा | १०० |
| ८ | वसोवास प्रमाणित सिफारिस | |
| | क. वैदेशिक प्रयोजन | १००० |
| | ख. स्वदेशी प्रयोजन | २०० |
| | ग. अस्थायी वसोवास | ५०० |
| ९ | जन्म मिति प्रमाणित | १०० |
| १० | जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपी सिफारिस | २०० |
| ११ | घर निर्माण सम्पन्न सिफारिस | ५०० |
| १२ | घर नक्शा पास नामसारी | |
| | कच्ची घर | २०० |
| | पक्की घर | |
| | पक्की एक तल्ले | १००० |
| | पक्की दुई तल्ले | २००० |
| | पक्की तीन तल्ले | २५०० |
| १३ | घर कायम सिफारिस | |
| | पक्की | १००० |
| | कच्ची | ५०० |
| १४ | घर वाटो प्रमाणित तथा सिफारिस प्रति किता | |
| | पक्की सडकसँग जोडिएको | ५०० |
| | कच्ची तथा ग्रामेल सडकसँग जोडिएको | ३०० |
| | वाटो नभएको | २०० |
| १५ | चार किल्ला प्रमाणित प्रति किता | |
| | पक्की सडकसँग जोडिएको | ५०० |
| | कच्ची तथा ग्रामेल सडकसँग जोडिएको | ३०० |
| | वाटो नभएको | २०० |
| १६ | नामसारी सिफारिस प्रति किता | |
| | जग्गा र घर समेत भएको | १००० |
| | जग्गा मात्र भएको | |
| | पक्की सडकसँग जोडिएको | १००० |
| | कच्ची तथा ग्रामेल सडकसँग जोडिएको | ५०० |
| १७ | छुट तथा आंकडा जग्गा नामसारी सिफारिस दस्तुर (प्रति कठठा) | ५०० |
| १८ | विटौरी जग्गा नामसारी वा हक हस्तांतरण (प्रति कठठा) | ५०० |
| १९ | मोही नामसारी सिफारिस (३ नम्वर मोहियानी हक प्राप्त भएको मात्र) | १००० |
| | जग्गाधनी भए मोही लगत कटाको लागी | ५०० |
| | मोही भए | ५०० |
| २० | अंग्रेजी सिफारिस अन्य | ५०० |
| २१ | संस्था दर्ता सिफारिस | ५०० |
| | टोल विकास संस्था | निशुल्क |
| | अन्य जुनसुकै प्रकारको संघ संस्था दर्ता सिफारिस | १००० |
| २२ | नाफा मुलक संस्था दर्ता सिफारिस | २००० |
| २३ | निजी विधालय संचालन सिफारिस | |
| | पुर्व प्राथमिक | ५००० |

| | | |
|----|---|---------|
| | आधारभूत | ७००० |
| | माध्यमिक | १५००० |
| | उच्च माध्यमिक र क्याम्पस | २०००० |
| | प्राविधिक शिक्षा तर्फको | २०००० |
| २४ | निजी विद्यालय कक्षा थप सिफारिस | ५००० |
| २५ | दलित जनजाती मधेशी आदि सिफारिस | १०० |
| २६ | चारित्रिक सिफारिस दस्तुर नपा बाहिरको हकमा | ५०० |
| २७ | चारित्रिक सिफारिस नपाको हकमा | २०० |
| २८ | भारत जाने सिफारिस समान विवाह, मरण वा अन्य पर्वमा समान ल्याउनेको हकमा समेत | २०० |
| २९ | अन्य मुलुक | ५०० |
| ३० | व्यक्ती प्रमाणित | २०० |
| ३१ | प्रमाणित (दर्ता हुनु अघिकोमा) | २०० |
| ३२ | खाता खोल्ने उपभोक्ता समिति बाहेकको हकमा | |
| | खाता खोल्ने | २०० |
| | खाता परिवर्तन | १०० |
| ३३ | छात्रवृत्ती सिफारिस | निशुल्क |
| ३४ | उपचार सिफारिस | निशुल्क |
| ३५ | बसाई सरि जादा वा कुनै पर्व समारोहमा जादा साथमा समान लानेको सिफारिस | ५०० |
| ३६ | उद्योग/पसल दर्ता सिफारिस | |
| | घरेलु | २०० |
| | साना | ५०० |
| | ठुला | १००० |
| ३७ | उद्योग/पसल ठाउसारी सिफारिस | १००० |
| ३८ | अपुताली सिफारिस | १००० |
| ३९ | निवेदन दस्तुर (फाराम शुल्क) | १० |
| ४० | आगलागी सिफारिस | निशुल्क |
| ४१ | नावालक सिफारिस | १०० |
| ४२ | व्यक्तीगत घटना दर्ता सिफारिस (म्याद नाघेकोमा सम्बन्ध विच्छेद बाहेक) | ५० |
| ४३ | अविवाहित प्रमाणित/जिवित प्रमाणित | १०० |
| ४४ | सुचिकृत दर्ता नक्शा निर्माणको कन्सलटेन्सी बाहेक | २०० |
| ४५ | कन्सलटेन्सी फर्मको सुचिकृत (घर नक्शा प्रयोजन) | २५०० |
| ४६ | पेन्सन पटा सिफारिस | ५०० |
| ४७ | व्यावसाय बन्द सिफारिस | २०० |
| ४८ | वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मृत्यु भएको व्यक्तीको सिफारिस | निशुल्क |
| ४९ | सम्बन्ध विच्छेद दर्ता /सिफारिस | २००० |
| ५० | सहलुलिय काठको सिफारिस | २०० |
| ५१ | काठको सिफारिस कटान चिरान | |
| | घरायसी प्रयोजन | ५०० |
| | व्यपारिक प्रयोजन | १००० |
| ५१ | जग्गा छुटयाउने प्रति किता (नपाको अभिनद्वारा) | १००० |
| ५२ | प्रतिलिपी सिफारिस | |
| | नक्शा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी | ५० |
| | घरको नक्शाको प्रतिलिपी | ५०० |
| | व्यावसाय प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी | ५० |
| | योजना तथा कार्यत्रकमसंग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपी प्रति पाना | ५० |
| | अन्य प्रतिलिपी प्रति पाना | ५ |
| ५४ | खानेपानी धारा/टेलिफोन जडानको सिफारिस | |
| | घरायसी | २०० |
| | व्यावसायिक | ५०० |
| ५५ | माथि उल्लेख नभएको साधारण प्रकृतीको सिफारिस | २०० |
| ५६ | माथि उल्लेख नभएको जटिल प्रकृतीको सिफारिस | ५०० |

| | | |
|----|--|---------|
| ५७ | सिफारिसको लागि सर्जिमिन गर्नुपरेमा सर्जिमिन शुल्क वापत | १००० |
| | खुल्ला स्थानमा दिशा गर्नेलाई | ५०० |
| ५८ | न्यायिक उजुरी दर्ता दस्तुर | रु १००० |
| ५९ | उल्लेख हुन छुट भएका अन्य सिफारिसमा दस्तुर सम्बन्धमा द्विविध युक्त भए नपा प्रमुखले बाधा अडकाउ फुकाउने गरी नपा प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने । खुल्ला दिशामुक्त गर्ने व्यक्ती समाउनेलाई पुरस्कार स्वरुप २५० उपलब्ध गराउनु । | |

अनुसूची ९ (दफा १० संग सम्बन्धित)

छुट, दण्ड जरिवाना सम्बन्धी ब्यवस्था

- क) नगरपालिका घोषणा हुनुपूर्व बनेका तथा २०७४ माघ महिना भन्दा अघि मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका भवनको हकमा घर नक्शापास तथा अभिलेखीकरण प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले सुचना प्रकाशित गरी प्रकाशित सुचनामा तोकिएको म्यादभित्र निवेदन पेश भएमा २५ प्रतिशत छुट दिने ।
- ख) बुदा (क) मा तोकिएको समयावधि भित्र घर नक्शापास गरी नियमित नगराएमा तोकिएको छुट उपलब्ध नगराउने ।
- ग) भवन निर्माण ईजाजत नलिई हाल निर्माण भईरहेका सम्पूर्ण मापदण्ड अनुसारका भवनको हकमा घर नक्शा पास गरी नियमित गराउनका लागि नगरपालिकाले सुचना प्रकाशित गरी प्रकाशित सुचनामा तोकिएको म्यादभित्र निवेदन पेश भएमा २५ प्रतिशत छुट दिने ।
- घ) बुदा नं (क), (ख) र (ग) बमोजिम घर नक्सा पास नियमित नगराएको हकमा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवाबाट बञ्चित गराउने ।
- ङ) नगरपालिकाले तोकिएको म्याद भित्र निवेदन पेश नभएको हकमा पछि नक्शा पास तथा अभिलेखीकरण गर्नु पर्दा थप ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।

| सि.नं. | बिबरण | पारित कर रकम | कैफियत |
|--------|---|-----------------|--|
| १ | ३५ दिन भित्र दर्ता भएका व्यक्तिगत घटना | निशुल्क | |
| २ | ३५ दिन नाघि दर्ता हुने व्यक्तिगत (घटना प्रति घटना) | ५०। | |
| ३ | नक्शापास नगरि चर लेवल सम्म भौतिक संरचना निर्माण गरेमा | ५ प्रतिशत | आ.व. २०७५।०७६ मा लागु भएको दस्तुरको आधारमा |
| ४ | नक्शापास नगरि चर भन्दा माथि सम्म भौतिक संरचना निर्माण गरेमा | १० प्रतिशत | आ.व. २०७५।०७६ मा लागु भएको दस्तुरको आधारमा |
| ५ | नक्शापास नगरि घर तथा भौतिक निर्माण सम्पन्न गरेमा | १५ प्रतिशत | आ.व. २०७५।०७६ मा लागु भएको दस्तुरको आधारमा |
| ६ | निश्चित तल्ला वा निश्चित डिजाइनको अनुमति लिई सो भन्दा बढि वा फरक घर निर्माण गरेमा | १५ प्रतिशत | आ.व. २०७५।०७६ मा लागु भएको दस्तुरको आधारमा |
| ७ | घर निर्माण गर्दा सडकमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपार्नेको हकमा | २० प्रतिशत | सडकमा पुगेको अवरोध र क्षतिको आधारमा |
| ८ | निशेधित क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेको हकमा | १५००। | निशेधित क्षेत्र घोषणा न.पा.ले स्थानिय रेडियो तथा पत्रपत्रिका मार्फत जानकारी गराउने |
| ९ | जथाभावि चौपाय छोड्नेको हकमा | रु.२००.० | प्रति गोटा |
| १० | मालपोत हकमा | १० प्रतिशत | प्रति वर्ष |
| ११ | व्यावसाय करको हकमा | २५ प्रतिशत | |

अनुसूची १०

(दफा ११ संग सम्बन्धित)

सवारी साधन कर

| सि.न. | विवरण | बार्षिक सवारी कर | पटके सवारी कर | पार्किंग कर | नदी नियन्त्रयण तथा सडक मर्मत सम्भार शुल्क (बालुवा,गिटी,ढुंगा बोकेको) | |
|-------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|--|--|
| १ | बस,ट्रली,लहरी, हेभी गाडीमा | १००० | २० | १० | प्रति घन मि. रु १५० | |
| २ | भाडाका कार जीप | ५०० | १० | ५ | | |
| ३ | भाडाको टेम्पो | ३०० | ५ | ५ | | |
| ४ | नीजि मिनि बस | ५०० | ५ | १० | | |
| ५ | निजी टेम्पो | ३०० | ५ | ५ | | |
| ६ | मोटरसाइकल स्कुटर | १०० | | | | |
| ७ | ठेला रिक्सा | ५० | | | | |
| ८ | इजाजत सिफारिस दस्तुर | ५० | | | | |
| ९ | ट्रयाक्टर | २०० | १० | १० | प्रति घन मि. रु १५० | |
| १० | पावर टेलर | १०० | ५ | ५ | | |
| ११ | विधुतीय रिक्सा | १०० | ५ | ५ | | |
| १२ | एक्जाभेटर/डोजर | १५०० | २० | १० | | |
| १३ | टेलर,लहरी विदेशी | ५०० | | | | |
| १४ | बस,ट्रक विदेशी | ३०० | | | | |
| १५ | मिनी बस मिनी ट्रक विदेशी | १५० | | | | |
| १६ | जिप/कार विदेशी | १०० | | | | |

अनुसूची ११

(दफा १२ संग सम्बन्धित)

जडीवुडी कवाडी जीवजन्तु कर

उन,खोटो,जडीवुटी,बनकस,कवाडी माल,जीवितजन्तु तथा अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड,सिङ,प्वाँख,छाला,जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोवार गरे वापत जडीवुटी,कवाडी र जीवजन्तु कर लाग्ने छ । उल्लेखित मालसमानका हकमा निम्न वमोजिम हुने साथै संकलन गर्ने कार्यविधि नगरपालिकाले तोके वमोजिम हुने ।

क. कागजजन्य समानका लागी प्रति किलो ग्राम - ५० पैसा

ख. फलाम/स्टीलजन्य समानका लागी प्रति किलो ग्राम-रु १

ग. हाड सिंह प्वाख जस्ता समानको लागी प्रीत किलो ग्राम- २५ पैसा

घ. वनजन्य जडीवुटीको लागी प्रति किलो ग्राम- रु २

अनुसूची १२

(दफा १३ संग सम्बन्धित)

पाकिंग शुल्क

अनुसूची १० मा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।

अनुसूची १३

(दफा १४ संग सम्बन्धित)

पर्यटन शुल्क

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने ।

दैनिक गुद्री (बहाल बिटौरी) कर :

| सि.नं. | विषय शिर्षक | बिबरण | प्रस्तावित दर |
|--------|---|---|---------------|
| १ | माछा, मासु बिक्री सम्बन्धित | खसी, बोका सुगुर बंगुर रांगा कुखुरा माछा | २०। |
| २ | कपडा तथा जुता चप्पल आदि संग सम्बन्धित पसल | रेडिमेड सामान राखी बिक्री गर्ने पसलमा | १०। |
| | | थान कपडा बिक्री गर्ने पसलमा | १०। |
| | | जुता चप्पल बिक्री पसलमा सानो | १०। |
| | | जुता चप्पल बिक्री पसलमा ठूलो | १०। |
| | | जुता चप्पल सिलाई गर्ने मोचि | ५ |
| ३ | तरकारी तथा फलफुल सम्बन्धित | फलफुल, नास्ता ठेलामा राखी बिक्री गर्ने पसलमा | १०। |
| | | साग सब्जी डोका वा डालामा राखी बिक्री गर्ने | ५। |
| | | भारमा सब्जी आदि ल्याई बिक्री गर्ने | ५। |
| | | सिजन अनुसारको सागसब्जी आलु पसल ठूलो | १०। |
| | | सिजन अनुसारको सागसब्जी आलु पसल सानो | १०। |
| | | फलफुल सागसब्जी पसल अन्यमा | १०। |
| | | फलफुल सागसब्जी प्रति वयलगाडा | १५। |
| | | फलफुल सागसब्जी बोरा । खुद्रा पसल | १०। |
| ४ | खाद्यन्यसंग सम्बन्धित | ढाकीमा ल्याई बेच्ने दाल, चामल, पिठो, च्यूरा आदिमा | १०। |
| | | बिस्कुट, चकलेट, पाउरोटी, साबुन बिक्री गर्ने पसलमा | १०। |
| | | मिठाई पसलमा | १०। |
| | | चटपटी तथा बरफ | ५। |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|-----|
| | | चिया पसल | १०। |
| | | माछा, मासु, तरकारी पकाई विक्री गर्ने पसलमा | १०। |
| | | अदुवा, लसुन, खुर्सानी, कुचो नांग्लो बेच्नेसंग | १०। |
| | | चामल दाल विक्री गर्ने पसल | १०। |
| | | बीउ विजन विक्री गर्ने पसलमा | १०। |
| | | चकटी आदि बेच्नेसंग | ५। |
| | | मकै पोली बेच्नेसंग | ५। |
| | | जडीबुटी विक्री गर्नेसंग | १०। |
| | | किराना पसलमा | २०। |
| | | अन्य छुटपुट पसलमा | ५। |
| ५ | पशुपक्षि जिउदा विक्रीसंग सम्बन्धित | कुखुरा, हांस विक्री गर्ने पसल प्रतिगोटा | १०। |
| ६ | परम्परागत शिपसंग सम्बन्धित | कपाल काटने सैलुनमा | ५। |
| | | माटोको भांडा बेच्ने पसल ठूलोमा | ५। |
| | | माटोको भांडा बेच्ने पसल सानोमा | ५। |
| | | कुचो, कुनिया, खोगी डोको नांग्लो बेच्ने | ५। |
| | | खटियामा सामान राखी विक्री गर्ने पसलमा प्रति गोटा | १०। |
| | | फालमका औजार तथा समान विक्री गर्ने पसलमा | १०। |
| ७ | अन्य ब्यवसाय संग सम्बन्धित | भाडाकुडा पसलमा | १०। |
| | | फोटो फ्रेमिङ तथा विक्री पसल | १०। |
| | | लाइट, पेट्रोमेक्स, स्टोभ, छाता मर्मत पसलमा | १०। |
| | | बास प्रति गोटा | २। |
| | | प्रचार प्रसार गरी ब्यावसाय गर्ने विज्ञापन सम्बन्धी पसलमा | १०। |
| | | खेल तमासा, जादू चटकी आदिमा | १०। |
| | | चुरी, धागा, टीका आदि श्रृंगार तथा मनिहारी पसल ठूलोमा | १०। |
| | | चुरी, धागा, टीका आदि श्रृंगार तथा मनिहारी पसल सानोमा | १०। |
| | | मुरली, बासुरी, गुलेली, थैली, जुम्पा, उडुस आदी मार्ने | १०। |

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| | | औषधी विक्री गर्ने | |
|--|--|-------------------|--|

नोट: माथि नपरेको व्यावसायको हकमा नगरपालिकाले तोके बमोजिम रु ५ देखि १० सम्म कर लिन सक्ने ।

नक्शा पास/अभिलेखीकरण दस्तुर

घर नक्शा अभिलेखीकरण प्रयोजन/नक्शा पास दस्तुर

| सि.न. | भवनको प्रकार | वेसमेन्ट तल्ला रु | भुईँ तल्ला प्रति वर्ग फुट रु | पहिलो तल्ला प्रति वर्ग फुट रु | दोस्रो तल्ला प्रति वर्ग फुट रु | तेस्रो तल्ला प्रति वर्ग फुट रु |
|-------|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| १ | आर.सी.सी.पिलर भएको | २ | ३ | ३५० | ४ | ४५० |
| २ | ढुंगा वा इट्टा वा ब्लकमा सिमेन्ट बालुवाको गारो (आर.आर.सी.सी.को छानो भएको) | | २५० | ३ | ३५० | |
| ३ | सिमेन्टको जोडाईमा ढुंगा वा इट्टा वा ब्लकको गारो जस्ता वा टायलको छाना | | १ | १५० | २ | |
| ४ | पट्टाको घेरावारा वा फुसको घर | | १ | १५० | | |
| ५ | सिमेन्ट जोडाईको कम्पाउण्ड बाल | | | प्रति रनिंग फिट | | ५ |
| ६ | माटो जोडाईको कम्पाउण्ड बाल | | | प्रति रनिंग फिट | | ३ |
| ७ | तार वार वा फुस को कम्पाउण्ड बाल | | | एकमुष्ट | | रु १००० |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

साविक देखी नगरपालिका गठन हुदासम्म भोगचलन भईरहेको जग्गा बाहेक अन्य सबै सार्वजनिक ऐलानी परती जग्गा नगरपालिकाको नियन्त्रणमा लिईने र भोगचलन गरेको जग्गामा अवस्थित घरको देहाय बमोजिमको कर लिने

| सि.न. | घरको विवरण | वार्षिक लागने कर |
|---|-----------------------|------------------|
| १ | कच्ची घर प्रति घर | रु ५०० |
| २ | अर्धपक्की घर प्रति घर | रु ७०० |
| ३ | पक्की घर प्रति घर | रु १००० |
| उल्लेखित कर भुईँ तल्लाको लागी मात्र भएकोले थप तल्ला भए प्रति तल्ला भुईँ तल्लाको लागी तोकिए बमोजिम थप लिने । | | |

नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका पोखरीहरूको, हाटबजारहरूको र खोलानालाहरूको ठेक्का बन्दोवस्तीको लागि कायम गरिने न्युनतम मुल्य सम्बन्धित वडा अध्यक्षसँगको समन्वय र सुझावमा नगरपालिकाले तोकी ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सिफारिस गर्ने

माथि उल्लेखित कर दस्तुर शुल्क ठेक्का अंकहरूको विस्तृत विवरण सहितको यो आर्थिक विधेयक स्वीकृती प्रयोजनको लागि नगर कार्यपालिका समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरियो ।